



शैल

ई-पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाइन साप्ताहिक

निष्पक्ष
एवं
निर्भीक
साप्ताहिक
समाचार

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 43 अंक-35 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच.पी./93/एस.एम.एल. Valid upto 31-12-2020 सोमवार 27-03 सितम्बर 2018 मूल्य पांच रूपए

क्या सानन की शिकायत के राजनीतिक अर्थ भी हैं उठने लगी है यह चर्चा

धूमल-वीरभद्र दोनों की ही सरकारें आयेंगी जांच के दायरे में

शिमला/शैल। सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक सानन ने वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में हुई कुछ धांधलियों को उजागर करते हुए जयरांम ठाकुर की सरकार से इस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जांच किये जाने की मांग की है।



स्मरणीय है कि इस बारे में सानन ने जून माह में भी मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर यह मांग की थी। लेकिन तीन माह में इस पत्र पर कोई कारवाई न होने के कारण सानन ने अब एक पत्रकार वार्ता करके इसे सार्वजनिक संज्ञान में ला दिया है। यहाँ यह विचारणीय है कि सानन और मुख्य सचिव विनित चौधरी एक ही बैच के अधिकारी हैं और जब वीरभद्र शासनकाल में इनको नज़रअन्दाज़ करके वीसी फारखा को मुख्य सचिव बना दिया गया था तब इन दोनों ने ही संयुक्त रूप से एक याचिका डालकर फारखा की नियुक्ति को कैंट में चुनौती दी थी। इस चुनौती के परिणामस्वरूप जब कैंट ने चौधरी को फारखा के समकक्ष सुविधाएं प्रदान करवा दी थी और चौधरी ने छुट्टी कैंसिल करके पुनः पदभार संभाल लिया था तब भी सानन को अपनी सेवानिवृत्ति से एक सप्ताह पहले तक छुट्टी पर रहना पड़ा था। उस समय ली गयी तीन माह की छुट्टी का लाभ चौधरी ने मुख्य सचिव बनने के बाद 2018 में सानन को स्टडी लीव के रूप में मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर से दिलवाया। इस खुलासे से यह स्पष्ट हो जाता है कि चौधरी और सानन में कितने घनिष्ठ रिश्ते हैं।

लेकिन जब इतने घनिष्ठ रिश्ते होने के बावजूद चौधरी ने सानन के पत्र पर कोई कारवाई नहीं की और सानन को आर.एस. गुप्ता को साथ लेकर पत्रकार वार्ता करनी पड़ी तो निश्चितरूप से इस मामले के उस पक्ष को देखना आवश्यक हो जाता है जो अबतक सामने नहीं आया है। गौरतलब है कि जो पत्र जून में सानन ने मुख्य सचिव को भेजा था उसमें होटल वाइल्ड फ्लावर छराबड़ा

और रामपुर के मन्दिर को ग्रांट देने के मामले शामिल नहीं थे। छराबड़ा के होटल का मामला निश्चित रूप से अन्य मामलों से ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि इसमें प्रदेश सरकार को जो प्रतिवर्ष करोड़ों की आमदनी होनी थी वह नहीं हो रही है। इस होटल प्रकरण में दो-दो बार एमओयू हस्ताक्षरित हुए हैं। इस होटल प्रकरण का तो विशेष ऑडिट करवाये जाने की सिफारिश ए.जी. तक ने की हुई है। लेकिन आज तक यह ऑडिट नहीं हो पाया है क्योंकि किसी भी सरकार ने इस आशय का पत्र केंद्र को लिखने की हिम्मत नहीं की है। यह होटल प्रकरण 1993 से 1995 के बीच घटा है और इसके बाद दो बार भाजपा तथा दो बार कांग्रेस की सरकारें रह चुकी हैं। ऐसे में जब आज इस मामले में वाक्यावदा एफआईआर दर्ज करके

जांच करवायी जाने की मांग की जा रही है तो निश्चित रूप से इस जांच के दायरे में वीरभद्र के साथ ही धूमल का भी दोनों बार का कार्यकाल रहेगा ही। इसमें यह भी सवाल खड़ा होता है कि क्या इस होटल का मामला किसी विशेष राजनीतिक मकसद से उठाया गया है। क्योंकि इस प्रकरण में केंद्र के विशेष ऑडिट करने के लिये तो जयराम सरकार की ओर से भी कोई कदम नहीं उठाया गया है। वैसे तो सानन स्वयं भी एक समय वित्त विभाग की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं और ऐसे मामलों में जब भी कोई एमओयू हस्ताक्षरित होने की कारवाई होती है तब ऐसे बड़े फंडों में वित्त सचिव या उसका कोई प्रतिनिधि शामिल रहता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि इसमें राज्य के हित सुरक्षित

रह रहे हैं या नहीं। ऐसे में यह होटल प्रकरण एक ऐसा मुद्दा खड़ा हो गया है कि यदि इसमें सरकार कोई कारवाई नहीं करती है तो कोई भी इसे जगहियत याचिका के माध्यम से न्यायालय तक ले जा सकता है।

सानन के पत्र और अब पत्रकार वार्ता के बाद यह संभावना भी प्रबल हो गयी है सानन के स्टडीलीव और टीडी लेने के मामलों को भी कोई विजिलेंस और फिर अदालत में ले जा सकता है। क्योंकि स्टडीलीव मामले में जो जवाब विधानसभा में आये एक प्रश्न के उत्तर में दिया गया है उससे स्थिति और गंभीर हो गयी है इस जवाब में स्टडी लीव के जो नियम पटल पर रखे गये हैं उनके अनुसार इस

स्टडीलीव के लिये पहले भारत सरकार से अनुमति लेना आवश्यक था जो नहीं ली गयी है। फिर स्टडी पर जाने से पहले एक बॉर्ड भरना पड़ता है जो कि नहीं भरा गया। जबकि मुख्य सचिव विनित चौधरी ने उस समय ऐसी ही छुट्टी जाने पर बॉर्ड भरा था। जिसको लेकर अब एक विवाद भी चल रहा है फिर सानन ने इस स्टडी लीव के बाद जो करीब तीस पन्नों का अपना अध्ययन "Property Titling in India" जो सरकार को सौंपा है उससे सरकार को कितना लाभ हुआ है और इस अध्ययन के आधार पर आगे क्या कदम उठाये गये हैं। इस बारे में प्रश्न के जवाब में कुछ नहीं कहा गया है जानकारों के मुताबिक मुख्यमन्त्री को इसका जवाब देना कठिन हो जायेगा क्योंकि सानन को सेवानिवृत्ति के बाद यह स्टडीलीव लाभ उनके अनुमोदन से ही मिला है। निम्नों के मुताबिक सानन इस लाभ के पात्र नहीं थे।

एच.पी.सी.ए.सोसायटी है या कंपनी मण्डलायुक्त करेंगे फैसला

शिमला/शैल। एच.पी.सी.ए. सोसायटी है या कंपनी यह विवाद पिछले छः वर्ष से भी अधिक समय से आर.सी.एस. की अदालत में लंबित चला आ रहा है। जबकि एच.पी.सी.ए. को लेकर विजिलेंस ने कई मामले दर्ज किये और उनके चालान भी अदालत तक पहुंचा दिये हैं। लेकिन इस प्रकरण में जो पहली एफआईआर दर्ज हुई थी जिसमें सानन आदि कई अधिकारी भी बतौर दोषी नामजद हैं। उसका चालान जब धर्मशाला के ट्रायल कोर्ट में पहुंचा था और उसका संज्ञान लेकर अदालत ने अगली कारवाई शुरू की थी तब इस मामले को उच्च न्यायालय में चुनौती देकर इस संदर्भ में दर्ज एफआईआर को रद्द किये जाने की गुहार एच.पी.सी.ए. के ओर से लगायी थी गुच्छ न्यायालय ने इस गुहार को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद इसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गयी थी। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट की कारवाई स्टे कर दी थी। यह मामला अभी तक सर्वोच्च न्यायालय में लंबित चल रहा है। अब जब प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और जयराम सरकार ने घोषणा की

कि राजनीतिक द्वेष से बनाये गये सारे मामले वापिस लिये जायेंगे तब सर्वोच्च न्यायालय में भी सरकार और एच.पी.सी.ए. दोनों की ओर से सरकार यह कथित फैसला सामने लाया गया। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सरकार मामला वापिस लेती है तो उसे कोई एतराज नहीं होगा। अन्यथा मामला मैरिट पर सुना जायेगा और उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि इस मामले में एच.पी.सी.ए. ने वीरभद्र को भी उच्च न्यायालय में प्रतिवादी बनाया था और अब सर्वोच्च न्यायालय में भी वह पार्टी है। इस मामले में जब भी सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हुई है तब तब वीरभद्र के वकील उसमें मौजूद रहे हैं। वीरभद्र इस मामले में दर्ज एफआईआर वापिस लिये जाने का विरोध करते आ रहे हैं। संभवता इसी कारण से मामला वापिस लेने की दिशा में सरकार की ओर से कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाया गया है। एच.पी.सी.ए. को अदालत ने अपने तौर पर मामला वापिस लेने का अवसर दिया था क्योंकि अपील में एच.पी.सी.ए. ही अदालत पहुंची है। इस वस्तुस्थिति में

एच.पी.सी.ए. ने अदालत से ही यह आग्रह किया है कि वही इस पर फैसला करे अब सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कब और क्या आता है इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रदेश सरकारों और उच्च न्यायालयों को विधायकों/संसदों के आपराधिक मामलों का निपटारा एक वर्ष के भीतर सुनिश्चित करने के लिये विशेष अदालतें गठित करने के निर्देश दिये थे। उस पर क्या अनुपालना हुई है इस पर रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने इस पर केन्द्र सरकार से नाराजगी भी जाहिर की है। यह विशेष अदालतें मार्च 2018 तक गठित की जानी थीं। हिमाचल प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय की ओर से इस संदर्भ में कोई कदम नहीं उठाया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को एच.पी.सी.ए. का जो मामला आर.सी.एस.के पास लंबित चल रहा था उसे वहाँ से हटाकर मण्डलायुक्त शिमला को सौंप दिया है।

स्मरणीय है कि पिछले दिनों हुए प्रशासनिक फेरबदल में सरकार ने ऐसे अधिकारी को आर.सी.एस. लगा दिया जो स्वयं एच.पी.सी.ए. में दोषी नामजद हैं। ऐसे में उस अधिकारी के लिये यह मामला सुन पाना संभव नहीं था। इसमें दो बार इस मामले की पेशीयां लगीं और दोनों स्वयं एच.पी.सी.ए. में दोषी नामजद हैं। अब उसने सरकार के सामने लिखित में जब यह वस्तुस्थिति रखी तब सरकार ने यह मामला मण्डलायुक्त को सौंप दिया है। अब मण्डलायुक्त इसमें कितनी जल्दी फैसला देते हैं इस पर सबकी निगाहें लगी हैं।

शिमला-कालका रेल ट्रेक के दोनों ओर बनेगी फुलवारी हिमाचल में खुलेंगी भारत पोस्ट पैमेंट बैंक की 12 शाखाएं

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राजभवन शिमला में रेलवे, वन तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिमला-कालका रेल ट्रेक पर फुलवारी एवं नर्सरी स्थापित करने की रूपरेखा तैयार करने को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में निर्णय लिया गया कि ट्रेक के हर 5 किलोमीटर पर ऐसी फुलवारी एवं नर्सरी स्थापित की जाएगी।

राज्यपाल ने कहा कि गत दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनकी भेंट के दौरान विशेष तौर पर

शिमला-कालका रेल ट्रेक के दोनों ओर फुलवारी एवं नर्सरी तैयार करने पर बल दिया ताकि पर्यटकों के लिए धरोहर रेल ट्रेक आकर्षण का केंद्र बन सके और फूल व पौधों की बिक्री से रेलवे की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने रेलवे के अधिकारियों को सुझाव दिया कि 90 किलोमीटर के इस ट्रेक पर हर 5 किलोमीटर पर एक ऐसी नर्सरी तैयार की जानी चाहिए, जहां ऐसे किस्म के फूल व पौधे उपलब्ध हों, जिन्हें प्रदेश से बाहर भी बिक्री के लिए भेजा जा सके। इस दिशा में टैरीटोरियल आर्मी का भी

सहयोग लिया जा सकता है। उन्होंने रेलवे से इस कार्य के लिए स्पॉट चिन्हित करने के लिए कहा। उन्होंने रेलवे द्वारा सोलन जिले के सलोण्डा में स्थापित नर्सरी के रखरखाव और उनमें विभिन्न किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया।

उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह रेलवे को पौधे उपलब्ध कराएं।

रेलवे, वन विभाग तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर अपने सुझाव दिए।

शिमला। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली से देश के लिए भारत पोस्ट पैमेंट बैंक का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ऐतिहासिक गैरी थियेटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के लिए भारत पोस्ट पैमेंट बैंक का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों की योजना है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी, बल्कि इससे समाज के कमजोर वर्गों का आर्थिक उत्थान भी सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से लाभार्थी को मनरेगा मजदूरी, छात्रवृत्ति जैसी सुविधाओं के भुगतान का लाभ सीधे हस्तांतरण के माध्यम प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थी बिलों का तत्काल भुगतान करने और उसे भारत पोस्ट पैमेंट बैंक खाते से भेजने व प्राप्त करने में सक्षम होंगे जो उन्हें प्रमुख बैंकों और आवासन कंपनियों से ऋण व बीमा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि लाखों भारतीयों की अभी भी बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है तथा भारत पोस्ट पैमेंट बैंक देश के असम्बद्ध और अधीन बैंकों

को मूल बैंकिंग सुविधाओं की प्राप्ति में सहायता करेगा।

उन्होंने कहा कि देशभर में 1.54 लाख से अधिक डाकघरों में भारत पोस्ट पैमेंट बैंक आरम्भ किया गया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल चैनलों की श्रृंखला में विश्व का सबसे सुलभ बैंक होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पहले चरण में 12 जिलों में भारत पोस्ट पैमेंट बैंक की 12 शाखाएं खोली जाएंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी नौ डाक खण्डों के अंतर्गत 2790 डाकघरों को चरणबद्ध तरीके से इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की सफलता के लिए डाक विभाग की हर संभव सहायता प्रदान करेगी। हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष खुशी राम बालनाहटा ने कहा कि भारत पोस्ट पैमेंट बैंक बैंकिंग क्षेत्र में मील पत्थर साबित होगा, क्योंकि डाक सेवा की पहुंच राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को घर-द्वार पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

निदेशक डाक सेवा हिमाचल प्रदेश ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य का स्वागत किया।

भारत सरकार की 25 योजनाओं से 21,18,651 लोग हुए लाभान्वित:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्यमंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री को राज्य में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति के बारे में अवगत करवाया गया।

मुख्यमंत्री ने अवगत करवाया कि अभी तक भारत सरकार की 25 योजनाओं के अन्तर्गत 21,18,651 लोग लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। हालांकि नव-निर्मित आवासों तथा परिसरों को प्रत्येक वर्ष लगभग 40 हजार कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के तहत 6101 घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान किए जा चुके

हैं और 7055 कनेक्शन अक्टूबर, 2018 तक प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थी नेतृत्व निर्माण घटक के अन्तर्गत 348 घरों का निर्माण किया जा चुका है, जबकि 2000 घर निर्माणाधीन हैं। उन्होंने

आवासों के निर्माण में हिमाचल प्रदेश देश का दूसरा राज्य है।

जय राम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत राज्य में 74608 लोगों को लाभान्वित किया गया है और राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में शामिल न होने वाले लोगों की सुविधा के लिए हिमाचल ग्रहणी सुविधा योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में एम्स के निर्माण के लिए 681 बीघा भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है और 666 बीघा भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने

कहा कि अभी तक 503786 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं और कार्यक्रम को राज्य में गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है तथा मार्च, 2019 तक लक्ष्यों को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार है और राज्य में अभी तक 525000 लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूत्र योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, वन रैंक वन पैशन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, राष्ट्रीय आरोग्य निधि, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डिजिटल राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, ग्रामीण कौशल योजना, आयुष्म, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, स्टैंडअप इण्डिया योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा हुनर से रोजगार तक योजनाओं की प्रगति बारे में भी अवगत करवाया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वरिष्ठ भाजपा नेता, केन्द्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बैठक में भाग लिया।



HIMACHAL PRADESH IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT *CORRIGENDUM

E-tender (ID - 2017_HPIPH_18936_1) of Prov. and commissioning of UV-Vis Spectrophotometer and thermo reactor at Chamba, Himapur and Reckongpo called vide this office letter No. IPHDS-CB-EA-I-Tender/2016-17-13492-97 dated 27.12.2017 due for opening on 19.01.2018 at 11.30 AM is hereby cancelled due to technical/administrative reasons.

Adv. No.-2051/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT 'NOTICE INVITING TENDERS'

Sealed item rate tenders on form 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Palampur Division H.P.P.W.D., Palampur on behalf of the Governor of H.P. for the following work from the approved and eligible contractors enlisted in H.P.P.W.D. (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P. General Sales Tax Act 1968 so as to reach in his office on or before on 25.09.2018 up to 11.00 AM. And the same shall be opened on the same day at 11.30 AM. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non-refundable) on 24.09.2018 up to 4.00 PM and the application for issue of tender form shall be received on 22.09.2018 up to 12.00 noon.

The earnest money in the shape of NSC/FDR/saving account of the Post office/Bank in H.P. duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Sr.No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time Limit	Cost of Tender Form
1.	Construction of D/Shala Yol Dadh Palampur road Km. 15/00 to 33/00. (SW/- Earth filling at Rd 0/00 to 0/50 and Edge wall with U-Shape drain at Rd 0/00 to 0/070 and 300mm dia H.P. culvert at Rd 0/015).	2,66,762/-	5400/-	Three Months	350/-
2.	C/O link road from Pira to Hoda. (SW/- P/L soling WBMG-I (90-45mm) at Rd 0/750 to 1/500).	2,55,138/-	5100/-	Three Months	350/-
3.	C/O Parour Dharot road. (SW/- C/O R/Wall at Km. 1/300 to 1/320).	2,18,005/-	4400/-	Three Months	350/-

Terms & Conditions:-

Following documents should accompany the application for tenders.

1. Sale tax No. with latest Sales tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic/Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered/ Insured post which should be received in this office on or before the date of opening of tender by 11.00 A.M positively.
7. Contractor should have successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost during the last preceding three years
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.-2090/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार - ऋचा

अन्य सहयोगी

रजनीश शर्मा

राजेश ठाकुर

सुवर्धन अक्थी

भेषेश

रिना

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER JAISINGHPUR DIVISION H.P. PUBLIC WORKS DEPARTMENT, JAISINGHPUR 176095 TENDER NOTICE

1. The Executive Engineer, Division, H.P.P.W.D., Jaisinghpur 176095 on behalf of Governor of Himachal Pradesh invites the online bids on item rate, electronic tendering system, in 2 Cover System for the under mentioned work from the eligible and approved Contractors/ Firms registered with HPPWD, Department.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost in Rs	EMD in Rs	Time Limit	Form No	Cost of bidding Document
Improvement of Black Spot on Hamirpur Sujapur Thural Maranda road in Km. 24/135 to 45/525(SH:- C/o 900mm dia Hume pipe culverts & R/walls at RD 36/720 to 36/786) on extended portion	Rs.12,58,041/-	Rs.25,200/-	Six Month	6&8	500/-	

2.Availability of Bid Document and mode of submission:- The bid document is available online and bid should be submitted in online mode on website <http://hptenders.gov.in> Bidder would be required to register in website which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD. May obtain the same from the website:- <http://hptenders.gov.in>. Digital Signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3.Key Dates.

1. Date of Online Publication. 17.09.2018 10.00AM
2. Document Download Start and End Date. 17.09.2018 10.30AM upto 29.09.2018 03.00 PM
3. Bid submission start and end date 17.09.2018 10.30AM upto 29.09.2018 03.00 PM
4. Physical Submission of EMD And Cost of Tender document 01.10.2018 upto 10.30 HRS
5. Date of Technical Bid opening ,Evaluation of technical Bid 01.10.2018 11.00 HRS
6. Date of Financial Bid Opening 08.10.2018 11.30 HRS

4TENDERDETAILS.

The Tender documents shall be uploaded online in 2 Cover.

- i) **Cover1:** Shall contain scanned copies of all "Technical Documents/ Eligibility information".
- ii) **Cover 2:** Shall contain "BOQ/Financial Bid" where contractor will quote his offer for each item.

5. Submission of Original Documents:- The Bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/ Earnest Money Deposit (EMD) and other technical documents in the o/o Executive Engineer HPPWD Division Jaisinghpur as specified in Key Dates Sr.No.4 on Tender Opening Date, failing which, the bids will be declared non-responsive.

6. BID OPENING DETAILS: The bid shall be opened on 01.10.2018 at 11.00 HRS in the office of the Executive Engineer, Jaisinghpur Division HP PWD Jaisinghpur HP By the authorized officer. In their interest the tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.

7. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 90 days after the deadline date for bid submission.

8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-2050/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

राष्ट्रीय राजमार्गों का 64 हजार करोड़ कब देगी मोदी सरकार

जयराम सरकार में आढ़तियों की लूट से बेहाल बागवान: सिंघा

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश से जुड़े बड़े प्रोजेक्टों को धरातल पर लाने में केंद्र सरकार पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। केंद्र सरकार द्वारा की गई तमाम घोषणाएं हकीकत में नहीं बदली हैं। पिछले चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री, नीतिन गडकरी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 64 हजार करोड़ रुपये की लागत से करीब 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा की थी। लेकिन इस मसले में अभी तक फूटी-कौड़ी भी हिमाचल प्रदेश के कोष में नहीं आई है और न ही किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का टैंडर हो पाया है। प्रतिपक्ष के नेता, मुकुंश अग्निहोत्री ने कहा कि अब तो केंद्र सरकार के महज 6 महीने बचे हैं तो क्या केंद्र या राज्य सरकार यह बता पाएगी कि यह 64 हजार करोड़ रुपये कब हिमाचल प्रदेश को मिलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए सैद्धांतिक पत्र और हवाई किले बनाकर बात नहीं चलेगी। एक बहुत बड़ा ऐतान राज्य विधान सभा चुनाव से ठीक पहले किया गया था, उसे पूरा करते हुए यह पैसा हिमाचल को एक पैकेज के तहत दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब तो मुख्यमंत्री, जय राम ठाकुर ने 69 नेशनल हाइवेज को 70 में बदल दिया है क्योंकि उन्होंने कुल्लू जिला के आनी में नेशनल हाइवेज बनाने बारे विधान सभा में बयान दिया है। राज्य के सांसद गाहे-बगाहे कोई-न-कोई सैद्धांतिक अनुमृतियों का पत्र अखबारों में जारी कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता की आंखों में धूल नहीं झांकी जा सकती। राज्य जानना चाहता है कि क्या चुनावों से पहले केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल को इन 70 नेशनल हाइवेज का पैसा जारी करेगी?

❖ केंद्रीय परियोजनाओं के लिये केन्द्र से कितना धन मिला है सरकार श्वेत पत्र जारी करे

के पास उपलब्ध है? इस पर भी सवालिया निशान लग रहा है। उन्होंने कहा कि सवाल में यह साफ हो गया है कि करीब 4500 किलोमीटर लम्बे नेशनल हाइवेज महज सैद्धांतिक मंजूरीयों के पालने में ही झूल रहे हैं। आलम तो यह है कि बरसात से हुए राष्ट्रीय राजमार्गों के नुकसान के लिए

अब आनन-फानन में लीपापोती की जा रही है। उन्होंने दलील दी की औद्योगिक पैकेज को लेकर भी हिमाचल प्रदेश से भेदभाव किया गया और उत्तरी-पूर्व राज्यों की तर्ज पर हिमाचल को पैकेज नहीं दिया गया और इसमें कटौती कर दी गई। उन्होंने कहा कि अब हवाई



भी कोई पुख्ता कदम नहीं उठाए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की तर्ज पर लगभग तमाम केंद्रीय प्रोजेक्ट घोषणाओं और सवालों तक ही सीमित है।

केंद्रीय विश्वविद्यालय की बड़ी-बड़ी दुहाइयां देने के बावजूद भी अभी तक इसके निर्माण की आधारशिला नहीं रखी गई है और यही हाल केंद्रीय प्रायोजित AIIMS अस्पताल, IIIT और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी है। विधान सभा चुनाव से ठीक पहले अक्नूर महीने में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर इनके शिलान्यास के पत्थर रख दिए लेकिन 10 महीने बीतने के बावजूद कोई भी टैंडर अभी तक इनका सम्भव नहीं हुआ है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेल लाइनों को लेकर भी बड़े-बड़े एलान किए गए लेकिन अभी तक कोई भी प्रगति रेल को लेकर नहीं हुई है। यही स्थिति ऊना के पी.जी.आई. संस्थान को बनाने को लेकर भी है। अगले साल लोकसभा चुनावों को देखते हुए

पट्टी के निर्माण को लेकर भी घोषणाएं की जा रही हैं। लेकिन सरकार को यह बताना होगा कि कितने पैसे इसके निर्माण के लिए या मौजूदा पट्टियों के विस्तार के लिए हिमाचल को मिले हैं? जबकि सच्चाई यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकारअभी तक भी कर्जा उठा रही है। जनता के बीच जाकर ऐसे हवाई एलान कर रहे हैं कि

जैसे केंद्र सरकार ने उनका खजाना विभिन्न योजनाओं से भर दिया है। सच्चाई तो यह है कि स्वा चनेलाइजेशन की परियोजना, जो 922 करोड़ रुपये की थी और छोट खड़ योजना के कार्य केंद्र सरकार ने राजनैतिक इशारे पर रोक दिए हैं। अखबारों में लगातार एलान हो रहा है कि यह बचा हुआ पैसा हिमाचल को मिल गया है लेकिन कोई पैसा हिमाचल सरकार की किट्टी में नहीं आया है। विभिन्न संस्थानों से कर्ज लेकर प्रदेश सरकार अपनी उपलब्धियां जताने की कोशिश न करे बल्कि इस बारे में श्वेत पत्र जारी करे कि केंद्रीय परियोजनाओं को लेकर कितनी राशि हिमाचल प्रदेश के खजाने में आई है अन्यथा रोज ही सैद्धांतिक अनुमृतियों का ढिंढोरा पीटने से भाजपा की नैयाय पर होने वाली नहीं है। आने वाले लोकसभा चुनाव में यह हवाई घोषणा एक बहुत बड़े मुद्दे का रूप धारण करेगी।

लखवार परियोजना में हिमाचल को मिलेगा 3.15 प्रतिशत पानी

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने नई दिल्ली में ऊपरी यमुना जलाशय में 4000 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली बहुउद्देशीय परियोजना लखवार (एमपीपी) के समझौता जपान पर हस्ताक्षर करने के लिए आयोजित समारोह में भाग लिया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, जहाजरानी एवं गंगा कायाकल्प मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में छः राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौता जपान पर हस्ताक्षर किए। लखवार बहुउद्देशीय परियोजना के लिए यमुना नदी पर 330 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) की जीवंत भण्डारण तथा 330 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाले 204 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से 79 एमसीएम स्क्वैड पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जो छः राज्यों में पानी की कमी से निजात दिलाने में मददगार होगी। इससे गैर-मानसून के दौरान यमुना नदी के प्रवाह में 65 प्रतिशत की वृद्धि और 34,000 हेक्टेयर

अतिरिक्त क्षेत्र सिंचाई के तहत आएगा। जल घटक परियोजना की 90 प्रतिशत लागत भारत सरकार जबकि शेष 10 प्रतिशत हिस्सा राज्यों द्वारा उन्हें 12.05. 1994 के समझौता जपान के आधार पर आवंटित जल हिस्सेदारी के अनुपात के आधार पर इन



राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना के विद्युत घटक की लागत का वहन उत्तराखण्ड द्वारा किया जाएगा और वे ऊर्जा उत्पादन का लाभ प्राप्त करेंगे। परियोजना का निर्माण उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 54 माह के भीतर किया जाएगा तथा परियोजना के कार्यों की निगरानी अप्रय यमुना नदी बोर्ड द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश को हिस्से में रूप में 3.15 प्रतिशत पानी मिलेगा और तदनुसार परियोजना के जल घटक का राज्य हिस्से के रूप में 8 करोड़ रुपये का योगदान करेगा।

उन्होंने कहा कि यमुना नदी तथा इसकी सहायक नदियों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में आने वाली टोंस और गिरि नदी पर कुल तीन

मुख्य भण्डारण परियोजनाओं का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें 330 एमसीएम लाइव स्टोरेज की बहुउद्देशीय लखवार परियोजना, टोंस नदी से 300 मेगावाट बिजली उत्पादन और हिमाचल प्रदेश में 498 एमसीएम लाइव भण्डारण वाली हिमाचल प्रदेश की रेणुका परियोजना तथा गिरि नदी पर 40 मेगावाट बिजली उत्पादन परियोजनाएं शामिल हैं। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

शिमला/शैल। एकमात्र वामपंथी विधायक राकेश सिंघा ने विधानसभा में सेब मंडियों में आढ़तियों की ओर से बागवानों के साथ मचाई जा रही लूट का मसला उठाते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नियम 62 के तहत चर्चा करते हुए सिंघा ने कहा कि 2002 में प्रदेश कृषि, बागवानी उत्पाद विपणन विकास व नियमन अधिनियम पारित हुआ था।

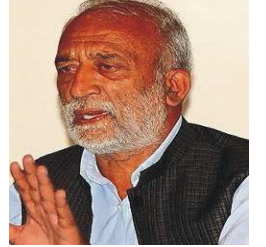
इस अधिनियम का इन दिनों ठियोग, रोहडू, पराल व दली मंडियों में सरेआम उल्लंघन हो रहा है। लेकिन जयराम ठाकुर सरकार इस लूट-खसूट को लेकर गंभीर नहीं है व आढ़तियों को लूट के लिए खूला छोड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि सेब की कीमत वजन के हिसाब से मिलनी चाहिए लेकिन आढ़ती पेटी के हिसाब से कीमत दे रहे हैं। यह अधिनियम का खुला उल्लंघन है व बागवानों की मेहनत का मज्जाक है और सरकार चुप बैठती है। पेटी का कीमत निर्धारित होने के बाद आढ़ती उसकी कीमत को मनमर्जी से कम कर रही है। जबकि एक बार नीलामी हो गई तो उसकी कीमत को कम नहीं किया जा सकता। यहां यह हो रहा है कि साढ़े चौदह सौ रुपये प्रति पेटी के हिसाब से नीलामी हुई है तो आढ़ती इसके चौदह सौ से साढ़े त्रह सौ रुपये बागवानों को दे रहे हैं। यह खुली लूट है। इसकी कानून कतई अनुमति नहीं देता है।

उन्होंने कहा कि आढ़ती गाड़ी के भाड़े को भी जो किसान ने पहले ही गाड़ी वाले को अदा कर दिया है, उस राशि को भी काट लेता है। यही नहीं सेब को उतारने व चढ़ाने की एवज में पांच से बीस रुपये काटे जा रहे हैं जबकि अधिनियम के मुताबिक पांच रुपये से ज्यादा नहीं काटे जा सकते हैं। सिंघा ने इलजाम लगाया कि इस में से पल्लेदार को तीन से साढ़े तीन रुपये तक ही दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने

शोधी व परवाणु में बेरियर लगा रखे हैं वहां मार्किटिंग फीस के नाम पर चूंगी काटी जा रही है। जबकि यह कभी की खत्म हो गई है।

सिंघा ने कहा कि जब सेब की



नीलामी हो गई तो बागवानों को तुरन्त पैसा मिल जाना चाहिए। कम से कम पंद्रह दिन बाद तो मिल ही जाना चाहिए लेकिन यहां पर महीनों ही नहीं कई मामलों में साल के बाद भी पैसा नहीं मिला है। उन्होंने सरकार से इस लूट से बागवानों को निजात दिलाने की मांग की।

चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा ने कहा कि इस तरह के मामले मार्किटिंग याई के बाहर से समाने आ रहे हैं। विभाग ने छह एफआइआर दर्ज की है और एक लाइसेंस रद्द कर दिया है। उन्होंने अधिकारियों के अलावा पुलिस को भी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह खुद भी मंडिया का लगातार दौरा कर रहे हैं।

मारकंडा ने कहा कि मंडियों में वजन के हिसाब से कीमत अदा करने का फरमान जारी किया गया है। लेकिन बागवान आढ़तियों से सौदा कर लेते हैं व वजन के बजाय पेटीयों के हिसाब से ही कीमत ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार भी चिंतित है लेकिन साथ ही कदम भी उठाए जा रहे हैं। पल्लेदारी के पांच रुपये से ज्यादा नहीं लिए जा सकते। अगर कहीं ऐसा है तो कर्वाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिनियम का उल्लंघन नहीं होने दिया जाएगा व सरकार बागवानों व किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए तत्पर है।

युवाओं के लिये स्वालम्बन अभियान शुरू करेगी सरकार

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने व आजीविका प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर हिमाचल प्रदेश सरकार की कौशल स्त्रोनेयन पहल की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना आरम्भ की है ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। उन्होंने कहा कि 40 लाख तक निवेश पर संयंत्र व मशीनरी के लिए 25 प्रतिशत पूंजी अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों को 40 प्रतिशत पूंजी अनुदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 40 लाख के ऋण पर तीन वर्षों के लिए पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जा रहा है।

जय राम ठाकुर ने कहा प्रदेश में क्रियाशील औद्योगिक इकाई की मांग के अनुरूप युवाओं का कौशल स्त्रोनेयन सुनिश्चित बनाया जा रहा है। इससे न केवल उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध

होगा, बल्कि स्वरोजगार को नया स्वाका भी तैयार होगा। प्रदेश सरकार युवाओं के कौशल स्त्रोनेयन के लिए अटल हिमाचल स्वावलम्बन अभियान आरम्भ करने पर भी विचार कर रही है। उन्होंने कहा प्रदेश की विभिन्न योजनाओं को कौशल विकास के अन्तर्गत लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि इन योजनाओं के बेहतर परिणाम सुनिश्चित हो सकें।

जय राम ठाकुर ने कहा कि स्किल मैस एवं स्किल गैप संवर्धन की पहल की जाएगी ताकि कौशल स्त्रोनेयन कार्यक्रमों के लिए प्रभावी रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कौशल स्त्रोनेयन केन्द्र स्थापित करने के लिए निजी उद्यमियों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराएगी।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के जयकान्त सिंह ने कौशल स्त्रोनेयन कार्यक्रम से सम्बन्धित प्रस्तुति दी।

उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के युवाओं के बेहतर लिये सभी कौशल स्त्रोनेयन योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाएगी।

जब कार्यों की अधिकता हो, तब उस कार्य को पहले करें, जिससे अधिक फल प्राप्त होता है।चाणक्य

सम्पादकीय

आरबीआई की रिपोर्ट से सरकार की विश्वनीयता पर उठे सवाल



नवम्बर 2016 को लागू की गयी नोटबंदी के बाद पुरानी मुद्रा के 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बन्द कर दिया गया था। इस आदेश के साथ ही जनता को पुराने नोटों को नये नोटों से बदलने के लिये समय दिया गया था। इस लिये गये समय में कितने पुराने नोट वापिस बैंकों में जमा हुए और अन्ततः रिजर्व बैंक के पास पहुंचे इसकी अब 21 माह बाद फाइनल रिपोर्ट आ गयी है। आरबीआई ने संसदीय दल को सौंपी रिपोर्ट में कहा है कि देश में पुरानी 500 और 1000 की मुद्रा के कुल 15.44 लाख करोड़ के नोट थे। जिनमें से 15.31 लाख करोड़ के नोट वापिस आ गये हैं जो कि 99.3% होते हैं। इसी के साथ यह भी कहा गया है कि इन वापिस आये नोटों में नेपाल और भूटान से आये नोट शामिल नहीं हैं। आरबीआई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि पुरानी मुद्रा के लगभग सौ प्रतिशत ही नोट वापिस आ गये हैं।

इससे सबसे पहले यह सवाल उठता है कि जो प्रचार हो रहा था कि देश में कालेधन की समानान्तर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गयी है वह प्रचार निराधार था। स्वामी राम देव जैसे कई लोग आये दिन लाखों करोड़ के कालेधन के आंकड़े देश के सामने रख रहे थे। आज आरबीआई की रिपोर्ट आने के बाद यह सारा प्रचार एक सुनियोजित षडयंत्र लग रहा है। बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा कि यह प्रचार शायद प्रायोजित था। क्योंकि जब नोटबंदी की घोषणा की गयी थी तब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का यही तर्क दिया था कि यह कदम कालेधन को रोकने के लिये उठाया गया है। क्योंकि कालेधन का निवेश आतंकवाद के लिये हो रहा था। प्रधानमंत्री ने जब यह तर्क देश के सामने रखा था तब देश की जनता ने उन पर विश्वास कर लिया था। इसी विश्वास के कारण लोग इस फैसले के विरोध में लामबन्द होकर सड़कों पर नहीं उतरे थे। देश को लगा था कि जब प्रधानमंत्री इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके पास कालेधन और उसके निवेश को लेकर ठोस जानकारीयें रही होंगी। उनके वित्तमंत्री ने पूरी तस्वीर उनके सामने रखी होगी। लेकिन आज यह सब पूरी तरह गलत साबित हुआ है। क्योंकि इसी का दूसरा पक्ष तो और भी घातक हो जाता है कि क्या यह कदम आम आदमी की कीमत पर कालेधन को सफेद बनाने के लिये उठाया गया था। क्योंकि आज तक यह नहीं बताया गया है कि कितना कालाधन पकड़ा गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री और उनकी सरकार की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाता है।

आरबीआई की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस फैसले से देश को दो गुणा नुकसान हुआ है। क्योंकि मुद्रा की प्रिंटिंग का एक नियम है। किसी भी देश की करेंसी उस देश के जीडीपी के अनुपात में छापी जाती है भारत में यह अनुपात 10.6 प्रतिशत है। रिजर्व बैंक इस संतुलन को बनाये रखता है। लेकिन भारत में जब से सरकारी क्षेत्र में निजिक्सेत्र का प्रभाव बढ़ा है तब से सरकारी बैंक खतरे में पड़ गये हैं और विजय माल्या, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे प्रकरणों ने इस खतरे को पुख्ता भी कर दिया है। इस संदर्भ में आरबीआई की वेबसाइट पर पड़े मनी स्टोक के आंकड़े यह बताते हैं कि अप्रैल 2012 में परिचलन में कुल 11,08,232 करोड़ रुपये थी जिसमें से बैंकों की तिजोरी में 43,377 करोड़ और जनता की जेब में 10,64,855 करोड़ थी। जुलाई 2016 में परिचलन 17,36,177 करोड़ रुपये थी जिसमें से बैंकों के पास 75034 करोड़ रुपये और बैंकों से बाहर जनता की जेब 16,61,143 करोड़ रुपये थे। आरबीआई के इन आंकड़ों को शायद यह मान लिया गया कि देश में इतना कालाधन है जिसे नोटबंदी से एक ही झटके में समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वास्तव में यह सब बैंकों पर कम होते जा रहे विश्वास का परिणाम था। नोटबंदी के बाद जिस तरह से सरकारी बैंकों का घाटा सामने आता जा रहा है उससे यह भरोसा और कम हो रहा है। इसी के कारण जहां 15.44 की पुरानी करेंसी को बदलना पड़ा है उसी के साथ उतनी ही नयी करेंसी को छापना पड़ा है। इस दोहरे नुकसान के कारण क्या आज करेंसी के मुद्रण में आरबीआई 10.6 प्रतिशत के अनुपात को बनाये रख पाया है या नहीं इसको लेकर अधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है।

नोटबंदी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा आघात पहुंचा है अब इस तथ्य को स्वीकारना ही पड़ेगा। अर्थव्यवस्था तो देश की बुनियाद होती है। जब बुनियाद एक बार हिल जाती है तो उसे संभलने में समय लगता है। आज देश इस स्थिति से गुजर रहा है। इससे प्रधानमंत्री की अपनी समझ और विश्वसनीयता दोनों पर जो प्रश्नचिह्न लगा दिया है उसके परिणाम घातक होंगे। क्योंकि यदि इस असफलता को सीधे और ईमानदारी से स्वीकारने की बजाये कुछ और मुद्दे खड़े करके देश का ध्यान बांटने का प्रयास किया जायेगा तो शायदे वह स्वीकार्य नहीं होगा।

कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली 174 करोड़ के ऋण में 64 करोड़ हुआ एनपीए

शिमला/शैल। कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक ने पिछले तीन वर्षों में 547 ईकाईयों को 174,06,28,742.68 का ऋण दिया है जिसमें से 64,30,47,236.02 रुपये एनपीए हो चुका है। यह ऋण 1-4-2015 से 31-3-2018 के बीच दिया गया यह जानकारी विधानसभा के इस

मानसून सत्र में हमीरपुर के विधायक नरेन्द्र ठाकुर के प्रश्न के उत्तर में दी गयी है। इस प्रश्न पर सदन में आयी चर्चा के दौरान मन्त्री विक्रम ठाकुर ने यह आश्वासन दिया है कि इस ऋण को दिये जाने की पूरी जांच करवाई जायेगी। मन्त्री ने सदन को यह भी बताया कि उनकी जानकारी के मुताबिक बहुत सारे साधन संपन्न लोग भी बैंक का ऋण वापिस नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के सहकारी बैंकों को लेकर बजट सत्र में भी एक सवाल आया था। उसमें पूछा गया था कि इन बैंकों का एनपीए कितना हो चुका है। इस प्रश्न के उत्तर में आयी जानकारी के अनुसार प्रदेश के दस सहकारी क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 938.27 करोड़ था। जिसमें कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक का एनपीए 560.60 करोड़ था। अन्य सहकारी बैंकों की स्थिति यह थी- राज्य सहकारी बैंक 52.66 करोड़, हि.प्र. राज्य सहकारी सहकारी विकास बैंक 29.50 करोड़,

शिमला अर्बन सहकारी बैंक 2.04 करोड़, परवाणु अर्बन सहकारी बैंक 6.06 करोड़, मण्डी अर्बन सहकारी बैंक 1.32 करोड़, बघाट अर्बन सहकारी बैंक 20.99 करोड़ और चम्बा अर्बन सहकारी बैंक 023 करोड़।



प्रदेश के सहकारी बैंकों की इस स्थिति से प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन पर ही गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं क्योंकि हर छोटा बड़ा बैंक एनपीए का शिकार है। कांगड़ा बैंक ने 547 उद्योग ईकाईयों को 174 करोड़ ऋण 1-4-2015 से 31-3-2018 के बीच दिया है। जिसमें आज 64 करोड़ से अधिक का एनपीए हो चुका है। स्मरणीय है कि जब कोई ऋण तय समय सीमा के भीतर अदा नहीं हो पाता है तब वह एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। इसलिये इसमें यह देखना आवश्यक हो जाता है कि ऋण की वापसी करने की नीयत ही नहीं है या

फिर बाजिज कारणों से ऋणधारक ऋण को चुका नहीं पा रहे हैं। यह जांच से ही सामने आयेगा क्योंकि मन्त्री जब यह कहे कि साधन संपन्न लोग भी अदायगी नहीं कर रहे हैं तो स्थिति एकदम बदल जाती है।

कांगड़ा बैंक के सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र से लेकर अब तक इसमें से केवल 28 करोड़ की ही रिकवरी बढ़ी है। बैंक ने जिन उद्योग ईकाईयों को ऋण दिया है उस सूची पर नज़र डालने से यह सामने आता है कि दर्जनों ईकाईयां ऐसी हैं जिन्हें एक ही दिन में दो-दो बार ऋण दिया गया है ऐसा क्यों किया गया एक ही बार क्यों प्रोपोजल क्यों नहीं बनाए गये यह जांच का विषय बनता है।

अब जब मन्त्री ने सदन में जांच का आश्वासन दे दिया है उसके बाद अब इस पर निगाहें लगी हुई है कि वास्तव में इस जांच के आदेश कब होते हैं और विजिलेंस इस जांच में कितनी गंभीरता दिखाती है। क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव विजिलेंस को सहकारी बैंक में हुई भर्तियों के मामले की जांच करने के आदेश कर चुके हैं लेकिन इस पर अभी तक कोई कारवाई शुरू नहीं हुई है। ऐसे में यह आश्चंका बराबर बनी हुई है कि इस मामले का अंजाम भी कहीं इसी तरह का न हो।

यह है ऋण धारकों की सूची

Account wise Detail of Loans sanctioned to industrial units in 2015-2016 (01-04-2015 to 31-03-2016)

Sl. No.	Name of Borrower	Amount Sanctioned	Date of Sanction	Outstandin Amount	Status of Account (Standard or NPA)
1	Sh Naresh Kumar Dhiman	475000	15/03/16	349,360.00	NPA
2	Kimat Ram	50000	19/11/2015	34,174.00	NPA
3	Pushap Ram	380000	02/09/15	277,778.00	NPA
4	NEEL CHAND	450000	01/06/15	185,823.00	NPA
5	Mrs. DECHEN DOLMA	100000	11/02/15	70,465.00	NPA
6	Mr. TANZIN DEKYOG	50000	03-11-2015	38,231.00	NPA
7	Raj kumar	250000	08/02/16	183,423.00	NPA
8	Chaitnya	285000	14/08/2015	120,848.00	NPA
9	Sh Archit Thakur	125000	08/07/15	115,113.00	NPA
10	M/S Crest Steel Una Pvt. Ltd.	500000000	10/12/15	305,838,516.00	NPA
11	M/S Crest Steel Una Pvt. Ltd.	500000000	10/12/15	60,055,638.00	NPA
12	Sh Kuldeep Singh	200000	30/10/2015	147,399.48	NPA
13	HOTEL RS BALVEDRE	36500000	31/10/15	38,656,796.00	NPA
14	HOTEL RS BALVEDRE	19000000	08/04/15	18,497,089.00	NPA
15	Sh Ashok Kumar	50000	20/05/15	11,310.00	NPA
16	Mrs. Veena Sharma	500000	07/08/15	500,246.99	NPA
17	M/S VC Foods	2240000	05/05/15	2,167,423.00	NPA
18	Sanjeev	190000	26/08/15	152,566.00	NPA
19	Sameer Engineers	1000000	20/11/15	657,189.00	NPA
20	Smt Manju Devi	350000	13/05/15	176,381.00	NPA
21	Shree Ganesh Traders	1100000	10/06/15	1,055,480.00	NPA
22	Kulwant Kumar	850000	03/01/16	855,763.00	NPA
23	Govind Ram	427500	04/09/15	357,126.00	NPA
24	CHANDA THAKUR	120000	27/06/2015	158,094.00	NPA
25	CHANDA THAKUR	100000	27/06/2015	111,392.00	NPA
26	Vinay Agro Industries	360000	30-10-2015	393,769.00	NPA
27	Vishal Industry	3000000	11/05/15	3,003,166.00	NPA
28	Mrs. RADHA DEVI	80000	18/06/2015	55,829.55	NPA
29	30 BEASA DEVI	3000000	23/09/2015	434,226,389.02	Standard
31	KK STEEL FABRICATION	2000000	10/03/16	107,919.00	Standard
32	MR. CHHERINGANGCHUK	250000	10-11-2015	148,141.00	Standard
33	MR. DEEPAK KUMAR	950000	17-11-2015	46,719.00	Standard
34	THE BANDROL SCWOMEN HL H	500000	20/01/2015	591,174.00	Standard
35	Mr. SHER SINGH	50000	26-06-2015	444,872.00	Standard
36	Mrs. SURDERSHNA DEVI	283000	21-09-2015	9,594.00	Standard
37	Niranjan Agro Industry	2000000	22/01/2016	150,738.00	Standard
38	KRISHNA DEVI	40000	29.05.15	1,921,997.00	Standard
39	LATA	40000	13.10.15	7,081.00	Standard
40	Mr. PANA LAL	80000	28-12-2015	10,532.00	Standard
41	M/S Kashmiri FoodProducts	980000	15/12/2015	39,016.00	Standard
42	Mrs. SURDERSHNA DEVI	317000	21-09-2015	794,690.00	Standard
43	MR. CHHERINGANGCHUK	150000	10-11-2015	316,211.00	Standard
44	MR. DEEPAK KUMAR	50000	17-11-2015	22,057.00	Standard
45	Om Parkash	950000	24/09/2015	49,900.00	Standard
				605,535.00	Standard

शेष पृष्ठ 5 पर.....

कांगड़ा केन्द्रिय सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली 174 करोड़ के ऋण

.....पृष्ठ 4 का शेष

Sr. No.	Name of Borrower	Amount Sanctioned	Date of Sanction	Outstanding Amount	Status of Account	Sr. No.	Name of Borrower	Amount Sanctioned	Date of Sanction	Outstanding Amount	Status of Account
(Standard or NPA)						(Standard or NPA)					
46	Tenzin Paldan	1140000	29/03/2016	180,536.00	Standard	148	Chunni Lal	95000	11/12/15	91,332.00	Standard
47	Sanjeev Kumar	400000	18/09/2015	143,121.00	Standard	149	Anjana Kumari	142000	16-12-2015	74,947.00	Standard
48	M/S Raizada Resorts	33747000	21/01/16	33,435,394.00	Standard	150	Anjana Kumari	48000	16-12-2015	41,286.00	Standard
49	Gouri Devi	200000	12/11/15	70,003.00	Standard	151	Balbir Singh	55000	26-02-2016	3,135.00	Standard
50	Sh Sanjay Kumar Rana	1000000	04/01/16	253,514.00	Standard	152	Balbir Singh	40000	26-02-2016	22,555.00	Standard
51	Smt Paramjeet	50000	15/12/2015	19,374.00	Standard	153	Yagya Dutt	1403000	09/03/16	834,533.00	Standard
52	Kaundal Trading Company.	2500000	12/11/15	2,451,541.00	Standard	154	Yagya Dutt	300000	09/03/16	285,482.00	Standard
53	Iqbal Singh Khera and Paul Khera	45000000	23/02/16	34,796,026.00	Standard	155	TRIBAL WEAVER H L	2500000	29/12/2015	342,407.00	Standard
54	Prema Devi	285000	09/11/15	228,551.00	Standard	156	Mrs. RUMI DEVI	50000	04/02/16	30,437.00	Standard
55	Mrs. SHANKUNTLA	50000	25-06-2015	1,220.00	Standard	157	Deepa Devi	100000	01/06/15	64,958.00	Standard
56	Rana Industries	1500000	20-02-2016	1,447,398.00	Standard	158	Simran SHG	300000	12/06/15	68,818.00	Standard
57	Roop Lal	300000	02/12/15	93,962.00	Standard	159	Usha Devi	100000	24/07/2015	25,740.00	Standard
58	Rana Industries	1500000	20-02-2016	936,104.00	Standard	160	Iqbal	50000	16/10/2015	23,260.00	Standard
59	AJ Gold & Silver Refinery	120000000	21/01/16	119,965,147.00	Standard	161	Nilofar	50000	16/10/2015	48,179.00	Standard
60	Mrs. MEENA DEVI	95000	09/11/15	34,105.00	Standard	162	Deepak Furniture & Joinery	950000	22/12/2015	480,000.00	Standard
61	Ravi Kumar	90000	18/03/16	90,495.00	Standard	163	Kirna Devi	100000	21/01/2016	55,484.00	Standard
62	Arun Kumar	150000	03/03/16	151,635.00	Standard	164	Raza	100000	20/02/2016	49,572.00	Standard
63	Mr. NEERAJ NEERAJ	80000	23-02-2016	45,006.95	Standard	165	Lata Devi	50000	06/05/15	33,365.00	Standard
64	Mr. SANDEEP KUMAR	720000	17-07-2015	334,663.72	Standard	166	Sheela Devi	50000	06/09/15	28,497.00	Standard
65	. HEM RAJ	855000	14-09-2015	395,021.00	Standard	167	Tolu Devi	100000	09/24/15	97,077.00	Standard
66	Brajeshwari Motors	930000	19/09/15	16,921.00	Standard	168	Tolu Devi	200000	09/25/15	182,987.00	Standard
67	Seema Devi	100000	10/02/16	2,820.00	Standard	169	SAVITRA DEVI	148000	04/12/15	126,559.00	Standard
68	Bimla Devi	300000	27-11-15	138,967.00	Standard	170	SANTOSH KUMARI	100000	10/12/15	20,792.00	Standard
69	Sawan Kumar	720000	21/12/15	237,332.00	Standard	171	JAGDISH CHAND	50000	02/03/16	14,564.00	Standard
70	Ranjeet Singh	400000	02/03/16	281,059.00	Standard					426,685,233.53	
71	Luv Kumar	800000	26/11/15	472,600.00	Standard	Account wise Detail of Loans sanctioned to industrial units in 2016-2017 (01-04-2016 to 31-03-2017)					
72	Balbir Singh	237000	17/09/2015	98,574.00	Standard	Sr. No.	Name of Borrower	Amount Sanctioned	Date of Sanction	Outstanding Amount	Status of Account
73	MAMTA	50000	13.10.15	34,591.00	Standard	(Standard or NPA)					
74	NIRMALA	100000	14/07/2015	28,389.00	Standard	1	Desh Raj	1000000	31/3/2017	253,578.00	Standard
75	KAMLA DEVI	50000	08/09/15	50,000.00	Standard	2	Vikash	1500000	07/03/17	684,432.00	Standard
76	RITU DEVI	100000	10/09/15	49,068.00	Standard	3	Sh Arvind Saini	1700000	28/03/17	1,612,439.00	Standard
77	Mamta Thakur	570000	04/03/16	488,244.00	Standard	4	Smt Chhaya mankotia	1688000	19/04/16	1,202,576.00	Standard
78	SHER SINGH	50000	09/06/15	19,498.00	Standard	5	Sh Dinesh Mahajan	440000	16/03/17	348,436.00	Standard
79	KRISHNA	100000	27/06/2015	40,007.00	Standard	6	Sanjay kumar (composit loan)	800000	05/12/16	596,509.00	Standard
80	Nidhi Sohal	500000	18/03/16	240,984.00	Standard	7	Sanjay kumar (composit loan)	400000	28/03/17	388,691.00	Standard
81	Kareena Industries	700000	31-03-2016	411,948.00	Standard	8	Pankaj	700000	27-03-2017	658,952.00	Standard
82	Mrs. TARA DEVI	40000	17-09-2015	.00	Standard	9	Pankaj	300000	30-03-2017	301,219.00	Standard
83	Mr. DINU RAM	80000	22-12-2015	37,092.00	Standard	10	Charanjit	15000000	5/12/16	15,648,272.00	Standard
84	KAUSHLYA	100000	30/7/2015	46,315.00	Standard	11	B S Industries	6000000	24/03/2017	5,733,126.00	Standard
85	DHUMAL STEEL IND	380000	31/03/2016	242,171.00	Standard	12	Novatech Engineers	1000000	01-09-2016	784,575.00	Standard
86	Sanjay Kumar	400000	01/02/16	155,507.00	Standard	13	Novatech Engineers	1500000	01-09-2016	1,496,967.00	Standard
87	Hotel Angel Inn	33000000	22/04/15	28,732,616.50	Standard	14	Himco Steel India	1700000	01-02-2017	1,365,923.00	Standard
88	Narender Kumar	50000	14/10/15	48,009.00	Standard	15	Himco Steel India	675000	01-02-2017	230,374.00	Standard
89	Ajay Dhiman	700000	26/11/15	447,805.00	Standard	16	Una fabrication Work	665000	30-03-2017	541,127.00	Standard
90	Brij Mohan	400000	12/04/15	237,222.00	Standard	17	Una fabrication Work	285000	30-03-2017	284,586.00	Standard
91	Narender Kumar	250000	10/12/15	104,780.00	Standard	18	Jay Kumar	760000	06/02/17	503,040.00	Standard
92	M/S Star Thermocol	9000000	20/02/2016	5,581,459.00	Standard	19	Partap	1000000	18/10/20	16,720,597.00	Standard
93	Karnail Singh	200000	19/10/15	14,364.00	Standard	20	HOTEL CHANDNI	4000000	02/01/17	3,259,812.00	Standard
94	M/S UR Sinter Pvt. Ltd.	150000000	09/04/15	121,559,173.00	Standard	21	HOTEL CHANDNI	6000000	13/04/16	4,769,946.00	Standard
95	M/S UR Sinter Pvt.Ltd.	45000000	09/04/15	40,340,824.00	Standard	22	Smt Seema	300000	05/09/16	178,698.00	Standard
96	Rajesh	190000	22/09/15	110,002.00	Standard	23	Smt Seema	100000	05/09/16	41,341.00	Standard
97	Nirmal Pathania	2500000	15/06/15	481,537.00	Standard	24	Sh Rajeev Kumar	285000	22/12/16	216,705.00	Standard
98	Kiran	300000	30/01/16	188,183.00	Standard	25	Smt Kusum Kumari	380000	29/03/17	204,094.00	Standard
99	Jyoti Gupta	500000	06/02/16	192,946.00	Standard	26	Divaskar Choudhary	1053000	09/02/17	804,208.00	Standard
100	Uttam Chand	95000	15/12/15	35,516.00	Standard	27	Kangra Vehicleleades	10000000	15/07/16	7,534,916.00	Standard
101	Arvind Kumar	400000	28/09/15	135,143.00	Standard	28	ANGELS INN RESORT	10000000	27/03/17	9,998,418.00	Standard
102	Aman Chaudhary	400000	11/06/15	250,686.00	Standard	29	Sh Ramesh Chand	2500000	27/09/16	2,225,062.00	Standard
103	Amt Gill	190000	04/03/16	85,217.00	Standard	30	Sh Karan Singh	1500000	24/03/17	625,602.00	Standard
104	M/S HOTE ABHINANDAN	16200000	23/03/16	16,202,395.00	Standard	31	Sh Madan Lal	600000	04/08/16	249,906.00	Standard
105	Suneel Kumar	150000	11/10/15	35,321.00	Standard	32	Sh Kishan Chand	1000000	11/05/16	344,824.00	Standard
106	Sh Dharam Chand	40000	26/11/15	10,276.00	Standard	33	Sh Narinder Kumar	1000000	01/12/16	1,028,092.00	Standard
107	Smt Aruna Devi	40000	24/12/15	.00	Standard	34	Sh Ramesh Kumar	200000	02/08/16	135,550.00	Standard
108	Smt Shanta Devi	100000	18/5/15	8,011.00	Standard	35	Sh Dalip Singh	200000	09/07/16	160,386.00	Standard
109	Sh Ramesh Kumar	40000	27/8/2015	11,693.00	Standard	36	Sh Subhash Chand	1000000	16/09/16	683,829.00	Standard
110	Sh Anil Kumar	400000	16-09-2015	192,908.00	Standard	37	Sh Bharat Bhushan	300000	02/09/16	183,012.00	Standard
111	DHUMAL STEEL IND	600000	31/03/2016	598,367.00	Standard	38	Sh Sanjeev Kumar	1000000	17/10/16	856,728.00	Standard
112	Sh Desh Raj	200000	18-04-2015	83,798.00	Standard	39	Krishana Cement Products	2000000	09/03/17	1,812,693.00	Standard
113	Sh Sandeep Kumar	300000	09/08/15	139,425.00	Standard	40	Sh Pawan Kumar	200000	25/05/16	101,086.00	Standard
114	Suneel Kumar	50000	11/10/15	34,093.00	Standard	41	Sh Suraj Kumar	250000	09/03/17	272,128.00	Standard
115	Vinod Kumar	400000	19/01/16	216,651.00	Standard	42	Sh Jeewan Lal	115000	24/01/17	118,023.00	Standard
116	Sh Bihari Lal	200000	07/10/15	97,701.00	Standard	43	Sh Sanjay Kumar	115000	20/05/16	38,485.00	Standard
117	Ms Ritika Singh	250000	10/02/16	155,892.00	Standard	44	Sh Atul Vasudeva	300000	04/10/16	249,431.00	Standard
118	Sh Vinod Kumar	200000	07/01/16	103,590.00	Standard	45	Sh Amar Singh Rana	600000	05/07/16	502,381.00	Standard
119	Sh Rakesh Kumar	65000	09/05/15	57,262.00	Standard	46	M/S Surindera Tragers	1000000	10/06/16	515,150.00	Standard
120	Sh Rampal	450000	28/01/2016	9,296.00	Standard	47	Sh Harjeet Singh	200000	14/10/16	135,788.00	Standard
121	Sh Rajeev Kumar	50000	26/11/15	47,456.00	Standard	48	Sh Anish Kumar Matta	600000	18/02/17	488,076.00	Standard
122	Chamunda JLG	120000	07/11/15	114,794.00	Standard	49	Sh Ankur Chaman	1500000	21/03/17	1,218,189.00	Standard
123	Chinmay SHG	32000	19/08/15	11,812.00	Standard	50	M/S Star Thermocol	4000000	02/06/16	1,396,109.00	Standard
124	Sh Mohinder Kumar										

कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली 174 करोड़ के ऋणपृष्ठ 5 का शेष

Sr. No.	Name of Borrower	Amount Sanctioned	Date of Sanction	Outstanding Amount	Status of Account (Standard or NPA)
67	Suresh Kumar	285000	14/03/2017	247,541.00	Standard
68	Chhering Angdai	570000	26/04/2016	315,774.00	Standard
69	Rahul Thakur	665000	12/07/16	483,322.00	Standard
70	Lobzang Gyalson	650000	31/01/2017	480,782.00	Standard
71	Tandup Phunchog	665000	20/03/2017	560,473.00	Standard
72	Narbu Ram	570000	28/03/2017	423,826.00	Standard
73	Kesang Namgyal	570000	28/03/2017	447,502.00	Standard
74	Sonu Kumar	40000	10/07/16	19,014.00	Standard
75	Vijay Kumar	600000	23.03.2017	304,209.00	Standard
76	Vijay Kumar	700000	31.03.2017	457,399.00	Standard
77	Hotel Himalaya Resort	6000000	19/08/16	4,950,000.00	Standard
78	Sh Rakesh Kalia	15700000	09/02/17	13,811,423.00	Standard
79	Hotel sagar View	5000000	10/06/16	4,276,555.00	Standard
80	Raj Hotel	35000000	15/06/16	37,439,972.00	Standard
81	Yudh Chnad Bains	120000000	05/07/16	113,048,435.00	Standard
82	Hotel Rajat Bangana	15000000	05/12/16	15,648,272.00	Standard
83	Hotel Mount Edge	15000000	12/01/17	13,275,197.00	Standard
84	Hotel Sarovar	10000000	21/01/17	2,422,612.00	Standard
85	Agustya Residency	9000000	10/03/17	8,999,946.00	Standard
86	Krishna Hans Raj Hotel	6000000	27/01/17	6,264,973.00	Standard
87	Surender Kumar	1900000	11/01/17	1,413,742.00	Standard
88	Sunil	475000	12/01/17	410,048.00	Standard
89	Ganpati H/L & H/C Wea CIS	908000	30.09.16	894,851.00	Standard
90	Mrs. GUDDI DEVI	50000	20-05-2016	24,735.00	Standard
91	Mrs. SUSHMA DEVI	400000	26-05-2016	1,535.00	Standard
92	Mr. SONTU RAM	50000	04-07-2016	26,588.00	Standard
93	Mrs. PHONCHOG				
94	DOLMA	50000	03-10-2016	29,157.00	Standard
95	Mrs. SUSHMA	100000	23-02-2017	46,922.00	Standard
96	Mrs. SUSHMA DEVI	200000	26-05-2016	31,120.00	Standard
97	Mr. RAM NATH	1050000	26-07-2016	9,863.00	Standard
98	Mr. RAKESH SHARMA	550000	23-01-2017	333,374.00	Standard
99	THE NARAYAN HL WEAVER SOCIETY	188000	06-09-2016	212,269.00	Standard
100	THE BHARTI STEEL WOOD FURNITURE	335000	04-11-2016	285,826.00	Standard
101	INDIRA DEVI	40000	27.09.16	19,958.00	Standard
102	NARESH CHAND	1000000	23.02.17	728,144.00	Standard
103	BANITA	100000	24.5.16	35,331.00	Standard
104	JAMUNA	100000	24.5.16	40,414.00	Standard
105	SUSHEELA	100000	26.5.16	34,880.00	Standard
106	JEEVANA	100000	26.5.16	47,461.00	Standard
107	RAMNATH	40000	20/05/2016	23,637.00	Standard
108	SHYAM LAL	50000	19/08/2016	32,936.00	Standard
109	LAL CHAND	40000	15/12/2016	32,140.00	Standard
110	PARVATI	185000	27/03/2017	148,137.00	Standard
111	PARVATI	100000	27/03/2017	103,126.00	Standard
112	SHIV SHANKAR CON	176000	06/12/16	205,865.00	Standard
113	GORI SHANKAR				
114	WEAVER	268000	20/12/2016	312,127.00	Standard
115	KINNER ST/SC	456840	10/03/17	517,817.00	Standard
116	SARSAI H/L WE	55830	10/03/17	63,281.00	Standard
117	SARSAI H/L WE	54174	10/03/17	61,404.00	Standard
118	Lakhan Food Products	3450000	21/07/2016	2,595,089.00	Standard
119	Swadesh Kumar	400000	06/01/17	372,367.00	Standard
120	Shivani Thakur	2000000	27/12/2016	797,975.00	Standard
121	Ram Dai	200000	20/02/2017	96,284.00	Standard
122	Mohal Lal	500000	22/03/2017	176,537.00	Standard
123	Kushal Chand	2500000	29/03/2017	950,870.00	Standard
124	Mohal Harijan				
125	Coop Weav Soc	200000	12/09/16	144,963.00	Standard
126	New Himachal				
127	Coop Weav Soc Ltd	120000	27-11-2016	82,385.00	Standard
128	Bhutti Weavers				
129	Coop Soc Ltd	35000000	01/02/17	28,285,911.00	Standard
130	Tripa Sharma	160000	12/08/16	139,017.00	Standard
131	Pradeep sharma	250000	21.01.2017	247,265.00	Standard
132	Mrs. PREM LATA	150000	27-05-2016	77,406.53	Standard
133	M/s. THE HILL QUEEN				
134	WEAVERS CO	188000	07/09/16	200,123.00	Standard
135	THE GREAT				
136	HADIMBA SC WEAVERS	177600	06/10/16	190,240.00	Standard
137	THE GREAT HADIMBA				
138	SC WEAVERS	1120000	06/10/16	1,285,877.00	Standard
139	M/s. THE MANU				
140	WEAVER HL HC PCS	800000	06/10/16	862,859.00	Standard
141	M/s. THE NEW				
142	MANALI HL AND HC	188000	06/10/16	183,942.00	Standard
143	THE PREET WOMEN				
144	HC HL WEL SOC	188000	07/02/17	187,672.00	Standard
145	Haminder Singh	300000	18-06-2016	188,070.00	Standard
146	THE VARIETY				
147	WEAVERS SOCIETY	60000	23/09/2016	70,854.00	Standard
148	THE VARIETY				
149	WEAVERS SOCIETY	48000	23/09/2016	56,687.00	Standard
150	THE VARIETY				
151	WEAVERS SOCIETY	720000	23/09/2016	681,085.00	Standard
152	M/S JAGJEET SINGH	270000	17/03/2017	210,504.00	Standard
153	M/S JAGJEET SINGH	180000	17/03/2017	141,173.00	Standard
154	Mr. TAPE RAM	50000	11/07/16	45,443.00	Standard
155	HP STATE HL AND HC				
156	DEVELOPMENT	4000000	20/03/2017	3,475,968.00	Standard
157	Dolma Devi	50000	04/04/16	22,583.00	Standard
158	Hari Devi	100000	05/04/16	105,959.00	Standard
159	Hem Nath	76000	13/05/16	61,104.00	Standard
160	Hem Nath	24000	13/05/16	5,489.00	Standard
161	Chhina	100000	28/05/2016	60,993.00	Standard
162	Hazara Khtoon	100000	03/11/16	18,291.00	Standard
163	Sarswati S H G	300000	16/12/2016	139,719.00	Standard
164	Veer Nath S H G	50000	25/11/2016	18,262.00	Standard
165	Laxmi SHG	100000	17/12/2016	67,168.00	Standard
166	Abhnav Mineral Dhoop	720000	22/03/2017	647,000.00	Standard
167	Dassi Devi	90000	24/1/2017	43,646.00	standard
168	Raina H/L & H/C Weaver	2500000	05/02/16	2,490,943.00	Standard
169	Kirana Devi	100000	10/06/16	99,145.00	Standard
170	H.R. Enterprises	115000	02/13/17	113,691.00	Standard
171	SERAJ FRUIT & VEGITABLE				
172	MARKETING COOP SOC	2000000	17/10/16	2,125,359.00	Standard
173	TARA SINGH	50000	16/06/16	26,862.00	Standard
174	HARI SINGH	50000	09/09/16	18,832.00	Standard
175	BALBIR SINGH	400000	20/03/2017	348,236.00	Standard
176	THE SERAJ GARH				
177	MAHILA HL HC	184000	08/09/16	178,532.00	Standard
178	THE KOTHI CHAINI MAHILA	188000	08/09/16	124,346.00	Standard
179	THE DLADA COOP AGRI				
180	SERVICE	257600	29/9/16	202,064.00	Standard
181	Sh Sanjeev Lakhanpal	10000000	09/05/16	10,673,843.00	NPA
182	Dhiman Automobiles	500000	06/04/16	416,394.00	NPA
183	Sh Vikas Makkar	200000	15/09/16	162,111.00	NPA
184	Ramshila Weavers Co-op				
185	Society	168000	06/09/16	202,864.00	NPA
186	Tripura H/L & H/C Wea CIS	340000	30.09.16	405,018.00	NPA
187	Anandini village Resorts	30000000	19/08/16	32,140,215.00	NPA
188	Kimat Ram	1100000	07/01/17	1,181,680.00	NPA
189	Gumat Ram	960000	18/07/2016	1,002,864.00	NPA
190	Sat Pal	40000	07/04/16	32,286.00	NPA
191	Ajay Kumar	40000	07/04/16	28,062.00	NPA
192	Pradeep Kumar	40000	10/07/16	32,372.00	NPA
193	Sh Sunny Kumar	200000	02/10/16	118,270.00	NPA
194	HOTEL RS BALVEDRE	45000000	18/06/16	46,240,213.00	NPA
195	HOTEL RS BALVEDRE	5000000	18/06/16	5,150,788.00	NPA
196	Smt Kavita Bhatia	750000	21/11/16	645,220.00	NPA
197	M/S C Z Village				
198	Blossoms Resort	1000000	14/03/17	83,410,660.00	NPA
199	Sh Sameer Bhatia	600000	18/02/17	508,999.00	NPA
200	THE PARCHA HL HC				
201	WEAVERS	197600	23/9/16	114,704.00	NPA
202	TIRTHAN VALLEY HL HC				
203	WEAVERS	177600	27/9/16	204,681.00	NPA
204	THE JIBHI WOOL				
205	WORKERS HL	184000	05/10/16	216,994.00	NPA
206	THE CETER COP				
207	AGRI SERV	97600	13/10/16	103,267.00	NPA
Account wise Detail of Loans sanctioned to industrial units in 2017-2018 (01-04-2017 to 31-03-2018)					
Sr. No.	Name of Borrower	Amount Sanctioned	Date of Sanction	Outstanding Amount	Status of Account (Standard or NPA)
1	Poonam Devi	1615000	30/3/2018	1,192,961.00	Standard
2	Kiran	2500000	07/10/17	1,944,535.00	Standard
3	Chander Mani	495000	30/12/17	484,828.00	Standard
4	Moti Lal	3000000	26/03/18	817,191.00	Standard
5	Nirmala Devi	95000	06/09/17	47,820.00	Standard
6	Usha Devi	550000	07/03/18	537,000.00	Standard
7	Virender Sharma	1700000	04/11/17	1,121,169.00	Standard
8	GS board Mills	2000000	19/06/17	1,959,455.00	Standard
9	Kannav Biocreation Pvt Ltd	12000000	28-09-2017	12,235,271.00	Standard
10	Rajeev Kumar	1350000	28/09/17	1,127,698.00	Standard
11	Organic Valley	82250000	08/08/17	40,237,029.00	Standard
12	Ambika Enterprises	1710000	30.03.2018	1,744,966.00	Standard
13	Ambika Enterprises	540000	30.03.2018	25.00	Standard
14	Kuldeep Soni	630000	31/07/17	132,499.00	Standard
15	Smt Gouri devi	100000	12/08/17	88,985.00	Standard
16	Sh Sunny Mahajan	100000	09/12/17	81,097.00	Standard
17	Sh Sunny Mahajan	619766	09/12/17	511,696.00	Standard
18	Sh Satpal	200000	28/09/17	174,022.00	Standard
19	ANGELS INN RESORT	15000000	27/06/17	15,015,063.00	Standard
20	Sh Sandeep Thapa	1000000	09/11/17	860,555.00	Standard
21	HARI SINGH				
22	SUJEET KUMAR	20000000	18/08/17	16,646,054.00	Standard
23	ANIL KAPOOR				
24	JOGINDER SAIN	9000000	14/09/17	7,111,624.00	Standard
25	Sh Jaipal Singh	1000000	24/10/17	1,013,658.00	Standard
26	PRADEEP SHARMA	10000000	30/01/18	1,192,959.00	Standard
27	OM PRAKASH	5440000	30/01/18	3,705,083.00	Standard
28	Sh ram Singh & Neeru	2500000	09/03/18	629,487.00	Standard
29	Smt Rita Rajpal	200000	28/07/17	173,296.00	Standard
30	Sh Onkar Chand	400000	13/10/17	174,049.00	Standard
31	Sh Surinder Kumar	250000	05/01/18	179,691.00	Standard
32	Sh Surinder Kuamr	250000	05/01/18	143,454.00	Standard
33	Sh Aman Kumar	50000	29/01/18	47,973.00	Standard
34	Smt Anju Devi	100000	15/01/18	98,521.00	Standard
35	Smt Anjana	100000	25/01/18	92,838.00	Standard
36	Smt Rajni	100000	30/01/18	84,187.00	Standard
37	Smt Saroj	100000	06/02/18	90,668.00	Standard
38	Sh Samir Dogra	900000	25/09/17	796,863.00	Standard
39	Sh Deep Chand	100000	11/10/17	94,693.00	Standard
40	Sh Rakesh Kumar	50000	27/02/18	50,593.00	Standard
41	M/S NIRVANA HEIGHTS	23000000	31/07/17	1,821,277.00	Standard
42	Mr Rajesh Kumar	150000	22/02/18	148,248.00	Standard
43	Smt Meenakshi	500000	29/03/18	500,498.00	Standard

कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक की कार्यप्रणाली 174 करोड़ के ऋण

.....पृष्ठ 6 का शेष

Sr. No.	Name of Borrower	Amount Sanctioned	Date of Sanction	Outstanding Amount	Status of Account (Standard or NPA)	Sr. No.	Name of Borrower	Amount Sanctioned	Date of Sanction	Outstanding Amount	Status of Account (Standard or NPA)
48	Sh Adityah Sharma	500000	17/04/17	402,803.00	Standard	132	MANI RAM	150000	22/05/2017	131,220.00	Standard
49	Sh Om Dutt	360000	21/12/17	352,442.00	Standard	133	BEGMU	50000	12/02/18	49,158.00	Standard
50	MS AGGARWAL					134	TRIPURA H/L	108000	07/04/17	122,526.00	Standard
	JEWELLERS	800000	28/03/17	449,132.00	Standard	135	KATRAIN SC/ST	60000	24/4/2017	67,717.00	Standard
51	M/S Bakes & Baker	1500000	28/09/17	1,188,300.00	Standard	136	KATRAIN SC/ST	240000	19/4/2017	268,634.00	Standard
52	Mangal Singh	1900000/-	15/11/2017	1774828/-	standard	137	BARAGRAN H/LH/C	240000	11/07/17	269,826.00	Standard
53	M/S Ganpati Stone Crusher	12500000	18/05/17	11,941,950.00	standard	138	DHARA WOOL	240000	26/9/2017	254,154.00	Standard
54	M/S Ganpati Stone Crusher	3500000	18/05/17	3,152,946.00	standard	139	SHIVA G WEAV	240000	26/9/2017	249,996.00	Standard
55	Naveen	285000	09/12/17	241,454.00	Standard	140	PATLIKUHAL WEAVERS	240000	06/10/17	213,526.00	Standard
56	Naveen	285000	09/12/17	223,729.00	Standard	141	BAGA H/L	240000	05/02/18	244,141.00	Standard
57	Amar Fabrication	1235000	09/07/17	1,216,889.00	Standard	142	Prem Lata Thakur	2000000	23/10/2017	757,057.00	Standard
58	Sh Raj Kuamr Verma	70000	18-04-2017	46,282.00	Standard	143	Gagna Devi	2000000	28/11/2017	1,976,324.00	Standard
59	Sh Parmodh Kumar	250000	25-04-2017	209,097.00	Standard	144	Vishal Ahuja	2000000	15/12/2017	516,576.00	Standard
60	Sh Manjeet	100000	08/01/17	68,465.00	Standard	145	Toli Devi	700000	12/12/17	370,167.00	Standard
61	Smt Shailza Chauhan	100000	04/01/18	86,286.00	Standard	146	BHANOO Hospital Pvt Ltd	500000	03/03/18	451,927.00	Standard
62	Sh Vijay Kumar	200000	12/02/18	191,641.00	Standard	147	New Himachal Coop Weav Soc Ltd	300000	30/08/2017	228,899.00	Standard
63	Deepak Dhaba	285000	15/09/17	240,793.00	Standard	148	Himachal H/L & H/C Weav Coop soc	300000	10/04/17	253,552.00	Standard
64	SONI FASHION BOUTIQUE	475000	29/09/17	378,485.00	Standard	149	Mohal Harijan Weav Coop Soc Ltd	300000	15/02/2018	243,388.00	Standard
65	PRITI SHARMA BOUTIQUE	285000	28/09/17	225,490.00	Standard	150	Kant H/L & H/C Coop Soc Ltd	400000	16/02/2018	352,912.00	Standard
66	Sh Kuldeep Chand	80000	21-09-2017	53,468.00	Standard	151	Chandravati	160000	19/08/2017	142,307.00	Standard
67	Sh Kuldeep Chand	20000	21-09-2017	15,627.00	Standard	152	Heeravati	200000	12/03/18	161,476.00	Standard
68	Sushma Dairy	500000	17-08-2017	199,000.00	Standard	153	M/s. THE MANU WEAVER HL HC PCS	1900000	29/11/2017	1,918,167.00	standard
69	Sh Vinod Kumar	200000	03/08/17	164,167.00	Standard	154	M/s. THE DHANSERI GALICHA HL W	585000	15/04/2017	485,490.00	standard
70	Sh Abhishek Verma	150000	30-08-2017	115,859.00	Standard	155	M/s. HIMALAYAN BODH WOMENS GAL	240000	02/11/17	251,293.00	standard
71	Sh Rakesh Guleria	160000	22-09-2017	140,498.00	Standard	156	Mr. THE KAUSHLA HC HL WEAVERS	108000	24-05-2018	108,271.00	standard
72	Sh Chandervir Paul	200000	06/01/18	176,780.00	Standard	157	Mr. THE KAUSHLA HC HL WEAVERS	132000	24-05-2018	132,331.00	standard
73	Sh Rajneesh Kumar	200000	19-03-2018	187,985.00	Standard	158	Seema Rani	100000	05/10/17	36,904.00	standard
74	Sh Rinku Kumar	150000	17/10/2017	135,424.00	Standard	159	Ambika Namkeen	600000	17-02-2018	487,015.00	standard
75	Sh Jagdesh Chand	200000	27/09/17	192,348.00	Standard	160	Ambika Namkeen	500000	17-02-2018	395,174.00	standard
76	Sh Pappu Ram	100000	05/09/17	95,220.00	Standard	161	Surbhi Steel	4000000	29-03-2018	3,947,637.00	standard
77	Smt Arti	70000	27/10/17	55,220.00	Standard	162	ROYAL HARIJAN WEAVER COOP SOC	240000	25/04/2017	105,499.00	standard
78	Sh Madan Lal	200000	01/09/17	134,246.00	Standard	163	THE KAILASH H L WEAVERS SOCIE	240000	18/09/2017	227,221.00	standard
79	Sh Joginder Kumar	950000	13.11.17	828,930.00	Standard	164	THE TRIBAL WOMEN GROMDYOG WEA	240000	28/12/2017	254,132.00	standard
80	Sh Vijay Kumar	475000	16.11.17	337,005.00	Standard	165	THE TRIBAL WOMEN GROMDYOG WEA	112000	28/12/2017	118,596.00	standard
81	Smt Pooja Devi	190000	20.11.17	121,744.00	Standard	166	Mrs. GUDI DEVI	50000	27/10/2017	39,539.00	Standard
82	Sh Vipin Kumar	450000	16.11.17	389,527.00	Standard	167	HP STATE HL AND HC DEVELOPMENT	800000	03/11/17	822,388.00	Standard
83	Smt Sunita Kumari	380000	02/03/18	280,444.00	Standard	168	The Vikas H/L & H/C Weavers	240000	20/10/2017	220,335.00	Standard
84	Sh Trilok Chnad	188100	22.03.18	130,881.00	Standard	169	Maa Naina Mahila S H G	50000	29/08/2017	38,940.00	Standard
85	Ashok Kumar	900000	05/12/17	852,038.00	Standard	170	Bhuvneshwari Hydro Pvt Ltd	124500000	03/10/17	29,289,000.00	Standard
86	Sher Singh	95000	28/03/2018	91,347.00	Standard	171	Samridhi H/L & H/C	1800000	29/03/2018	540,000.00	Standard
87	Bhagat Ram	285000	17/08/2017	260,309.00	Standard	172	Laxmi SHG	50000	08/08/17	23,952.00	Standard
88	VEENA THAKUR	1,00,00,000	17/05/2017	1,03,35,689	Standard	173	Durvassa Rishi SHG	100000	30/10/2017	40,279.00	Standard
89	Lobzang Gyalson	570000	20/03/2018	471,515.00	Standard	174	Ram Saran	40000	05/15/17	21,690.00	Standard
90	Sonam Tandup	570000	20/03/2018	246,995.00	Standard	175	Sita Ram	55000	12/12/17	44,692.00	Standard
91	Nawang Kheytip	380000	20/03/2018	302,889.00	Standard	176	Puran Chand	360000	10/05/17	298,355.00	Standard
92	Angchuk Dorje	475000	26/03/2018	300,489.00	Standard	177	Puran Chand	400000	10/06/17	320,186.00	Standard
93	Poonam	2375000	21.09.2017	2,217,541.00	standard	178	SHIVANI BUNKAR PROD. CUM SALES COOP	1200000	26/05/17	1,341,943.00	Standard
94	sushma Path	1450000	14.08.2017	889,684.00	standrard		INDUSTRIAL SOCIETY				
95	Pankaj Kumar	2250000	24.11.2017	2,195,013.00	standrard	179	THE SHANGI HARIJAN MAHILA	300000	13/11/17	249,487.00	Standard
96	Ishan chand	1000000	24.03.2017	642,894.00	standrard	180	THE MINYASHI CAS	480000	06/02/18	337,625.00	Standard
97	Sunita	700000	25.03.2018	617,044.00	standrard	181	BHAWANI WEAVERS PRIODCT	908000	27/7/17	191,950.00	Standard
98	Sunita	600000	03/03/18	145,769.00	standrard	182	THE VACHHOT COOP AGRI SER	60000	26/9/17	558,448.00	Standard
99	Suresh & Neeraj	16600000	02/05/17	8,362,549.00	Standard	183	THE VACHHOT COOP AGRI SER	180000	26/9/17	166,216.00	Standard
100	M/S Raizada Resorts	20000000	22/06/17	21,167,094.00	Standard	184	THE MANGLORE COOPAGRI SERVICE	100000	26/9/17	99,896.00	Standard
101	Mahadev Cold Stores	35000000	22/05/17	16,172,491.00	Standard	185	THE MANGLORE COOP AGRI SERVICE	80000	26/9/17	76,712.00	Standard
102	Meera Sharma	295000	10/08/17	247,313.00	standard	186	THE BHAWANI WEAVERS PRODUCT	720000	10/10/17	666,195.00	Standard
103	Sunita Devi	1710000	15.01.18	1,450,006.00	standard	187	THE TARGALI COOP AGRI SERVICE	100000	11/10/17	75,026.00	Standard
104	Anjna	190000	13.03.18	185,037.00	Standard	188	KAMLESH THAKUR	600000	15/3/18	563,159.00	Standard
105	Rajat Kant	450000	26.03.18	440,763.00	standard	189				305,886,736.60	
106	Bharat fertilizer & Agro Chemical	499000	26.03.18	466,836.00	Standard	190	THE RADHIKA KINNAR HARIJAN WEAVERS COOP SOC.	240000	25/05/2017	254,342.00	NPA
107	Luxmi Printing Press	855000	27.03.18	688,466.00	Standard	191	THE RADHIKA KINNAR HARIJAN WEAVERS COOPSOC.	60000	25/05/2017	63,576.00	NPA
108	Whispring Resorts	110000000	04/09/17	33,476,322.00	Standard	192	MOHINI WOOL WORKERS IND	60000	09/10/17	63,890.00	NPA
109	Angu Dobhi H/L & H/C Wea CIS	240000	31.08.17	244,409.00	Standard	193	MOHINI WOOL WORKERS IND	180000	09/10/17	191,669.00	NPA
110	Chanderkhani H/L & H/C Wea CIS	720000	01/11/17	655,915.00	Standard	194	M/S Sai Industries	4000000	30/12/17	4,050,768.00	NPA
111	Manali Valley Live stock-& other pro Coop Soc	640000	25.01.18	602,744.00	Standard	195	Anandini Village Resorts	20000000	22/06/17	21,205,097.00	NPA
112	Mrs. SUSHMA	500000	27-07-2017	405,831.00	Standard					25,829,342.00	
113	Mr. DILA RAM	95000	07-09-2017	69,510.00	Standard						
114	Mr. SANJEEV KUMAR	160000	14-09-2017	134,275.00	Standard						
115	Mr. BIR SINGH	50000	11-10-2017	46,405.00	Standard						
116	Mrs. SUNITA MANEPA	570000	20-11-2017	535,318.00	Standard						
117	Mrs. SUSHMA	300000	27-07-2017	275,090.00	Standard						
118	Mr. DILA RAM	100000	07-09-2017	53,392.00	Standard						
119	Mrs. SUNITA MANEPA	190000	20-11-2017	506.00	Standard						
120	Mr. HARISH KUMAR	200000	28/11/2017	198,160.00	Standard						
121	Mr. HARDYAL	350000	07-11-2017	320,454.00	Standard						
122	THE SEOBAG HL HC HARIJAN COOP	192000	05-12-2017	179,970.00	Standard						
123	THE SEOBAG HL HC HARIJAN COOP	48000	05-12-2017	44,721.00	Standard						
124	BANDROL WOMEN WEAVER SOCIETY	108000	16-01-2018	104,041.00	Standard						
125	BANDROL WOMEN WEAVER SOCIETY	147000	16-01-2018	123,946.00	Standard						
126	MEENA KUMARI	500000	12/03/18	395,225.00	Standard						
127	RAVI	1425000	08/11/17	1,002,320.00	Standard						
128	M/s Naggar Fruit Processing Industry	10700000	9/04/2017	9,879,708.00	Standard						
129	THE JAGRITI WOMEN HL AND HC	428000	29/05/17	426,560.00	Standard						
130	SHIV SHAKTI HL AND HC COOP	236000	08/06/17	155,365.00	Standard						
131	HEM LATA	40000	13/06/2017	30,963.00	Standard						

क्या सरकार के फैसले से गैर कृषक की बंदिश हट पायेगी उठा सर्वाल

शिमला/शैल। जयराम सरकार ने 25.7.18 को राजस्व विभाग की ओर से प्रदेश के सारे मण्डलायुक्तों और उपायुक्तों को एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में गैर हिमाचली अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश मुजारियत एक्ट-1972 की धारा 118 के अन्तर्गत भूमि क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने बारे मार्ग दर्शन किया गया है। इसमें यह कहा गया है कि ऐसा अधिकारी/कर्मचारी प्रदेश में अपने आवास हेतु भूमि क्रय करना चाहता है तो वह इसका पात्र है। यदि उसकी पात्रता के तहत उसके पुत्र/पुत्री भी आवास के लिये भूमि क्रय करना चाहते हैं तो वह भी इसके पात्र होंगे। भले ही वह प्रदेश के बाहर ही क्यों न रहे हों। इसके लिये उन्हें प्रदेश में तीस वर्ष तक कार्य करने का प्रमाणपत्र नहीं देना होगा।

सरकार को इस फैसले को कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये बड़ी राहत कर दिया जा रहा है। लेकिन उन्हें प्रदेश के राजस्व नियमों से कोई बड़ी राहत मिलने जैसी बात नहीं है। क्योंकि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति चाहे वह हिमाचली हो या नहीं इस कानून की धारा 118 के तहत भूमि क्रय करने की अनुमति सरकार से ले सकता है। अब तक हजारों लोग ऐसी अनुमति लेकर प्रदेश में जमीनें खरीद रहे हैं। प्रदेश में किसी भी गैर कृषक को जमीन खरीदने पर पावबंदी है चाहे वह हिमाचली हो या नहीं। ऐसे व्यक्ति को धारा 118 के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता है और वह सरकार को इस फैसले के बाद भी यथास्थिति लागू रहती है। क्योंकि इस फैसले से कोई गैर कृषक-कृषक नहीं बन जायेगा। ऐसे में यदि सरकार प्रदेश में कार्यरत गैर हिमाचलीयों पर से गैर कृषक की बंदिश हटाना चाहती है तो उसके लिये 1972 के एक्ट में विधानसभा के अन्दर संशोधन लाना पड़ेगा। क्योंकि इस एक्ट के तहत 1975 में बने नियमों में संशोधन करके कृषक का दर्जा नहीं दिया जा सकता।

स्मरणीय है कि जब जयराम सरकार ने कार्यभार संभाला था तब इस आशय का एक बयान दिया था कि सरकार 1972 के मुजारियत और भुसुधार एक्ट में संशोधन करना चाहती है। बजट सत्र में सरकार को इस बयान पर सदन में काफी हंगामा हुआ था और कांग्रेस ने वाकूआऊट तक किया था। इस परिदृश्य में सरकार का यह फैसला एक और विवाद को जन्म दे सकता है कि जब सरकार गैर हिमाचली अधिकारियों/कर्मचारियों के बच्चों को यह सुविधा देना चाहती है तो उन लोगों को क्यों नहीं जो प्रदेश में लम्बे समय कारोबार कर रहे हैं और यहाँ के बाशिंदे हो गये हैं।

गौरतलब है कि ऐसे कारोबारी लोग लम्बे अरसे से यह मांग भी करते आ रहे हैं। इन लोगों ने धारा 118 को प्रदेश उच्च न्यायालय में 1995 से लेकर 2010 तक छः अलग-अलग याचिकाएं दायर कर चुकी हैं। वे हैं लेकिन इन सभी याचिकाओं के फैसलों

में उच्च न्यायालय ने धारा 118 की वैधता को स्वीकार किया है। लेकिन इसके बाद एक और याचिका पर सितम्बर 2016 में प्रदेश उच्च न्यायालय की जस्टिस राजीव शर्मा और जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की पीठ ने सरकार को यह निर्देश दिये थे कि This court deems it fit and proper to direct the state government to make suitable amendments to Section 118 of the HP Tenancy and Land Reforms Act, 1972 read with HP Tenancy and Land Reforms Rules, 1975 in order to Facilitate to purchase any land (agricultural and non-agricultural) in the state by non-agriculturist Himachalis residing in the state for decades, prior to the date of commencement of the HP Tenancy and Land Reforms Act, 1972 within a period of 90 days from today"

लेकिन उच्च न्यायालय के इन निर्देशों की अनुपालना के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं। आज भी जब सरकार ने यह फैसला लिया है तब शायद इन निर्देशों का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। धारा 118 के तहत गैर कृषकों पर लगाई गयी बंदिश हर सरकार के लिये एक बड़ा मुद्दा रही है। लेकिन इसे कोई भी हटा नहीं पाया है। ऐसे में यह समझना आवश्यक है कि यह धारा लगायी क्यों गयी थी। इस एक्ट के उद्देश्यों की घोषणा में कहा गया है STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS: "As a result of the re-organisation of the erstwhile state of Punjab in November, 1966, some areas were integrated in Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966.

There are different enactments regarding tenancy and agrarian reforms in force in new and old areas of the Pradesh immediately before 1st November, 1966, the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act, 1953 is in force which is a progressive legislation about the security of tenures of tenants and their other rights. in the areas added to Himachal Pradesh under section 5 of the Punjab Re-organisation Act, 1966, however, occupancy tenants have been vested with proprietary rights under two Acts on the subject namely, the Punjab Occupancy tenants (Vesting of Proprietary rights) Act, 1953 and the Pepsu Occupancy Tenants (Vesting of Proprietary Rights) Act, 1954. in the old areas the occupancy tenants have to apply for ownership under section 11 of the Himachal Pradesh Abolition of Big Landed Estates and Land Reforms Act. It has therefore been considered necessary to unify the various laws relating to tenancies as in force in the pradesh and to provide for a measure of land reforms to remove disparities.

Restrictions have been imposed to purchase land by the non-agriculturists to

avoid concentration of wealth in the hands of non-agriculturists moneyed class. The Bill is to achieve the above objects

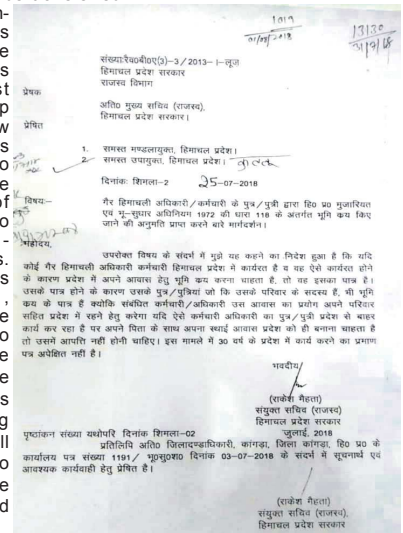
इसके बाद 1987 में इस एक्ट की धारा 104 में संशोधन करके इसे कड़ा किया गया था। धारा 104 में संशोधन धारा 113 के परिप्रेक्ष्य में किया गया था। इस संशोधन के उद्देश्यों में भी यह कहा गया है कि Statement of Objects and Resasons of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms (Amendment) Bill 1987 provides as under:

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS: "Under the existing provisions contained in the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1971 the right, title and interest of the Government in the lands owned by it and leased out to a person vest in tenants. It is imperative that the proprietary rights in Government lands, by and large regenerated through public funds, should not pass to private persons, it has, therefore, become necessary to make suitable amendment in section 104 of the said Act. Under the provision to section 113 of the said Act. The land in respect of which proprietary rights have been acquired by a non-occupancy tenant, can be transferred by way of sale, mortgage gift or otherwise only for productive purposes with the permission of the Collector. In order to avoid

misuse of this provision and to ensure that such permission should be accorded rarely and only under genuine circumstances, it has been decided that the said permission be given by the State Government alone Section 118 of the principal Act, which restricts transfer of land to non-agriculturists, does not apply to the transfer of lands situated in urban areas, nor does it apply to transfer of lands not used for purposes subservient to agriculture. The lands classified as "Gair-mumkin makan" "Gair mumkin dhank" can be transferred in favour of non-agriculturists and thus the provisions as they exist leave a loop hole in law which is designed to prevent the transfer of land to non-agriculturists. it has therefore, become necessary to make suitable amendments in the existing law. The Bill seeks to achieve the aforesaid

objectives.

इस परिदृश्य में सरकार का अब लिया गया फैसला अपने में बेमानी हो जाता है। क्योंकि इससे गैर कृषक की बंदिश नहीं हटती है और जब तक की यह बंदिश नहीं हटती है ऐसे फैसले से किसी को कोई लाभ नहीं मिल पायेगा। सरकार के इस फैसले से जो यह माना जा रहा है कि इससे गैर हिमाचली अधिकारियों/कर्मचारियों और उनके पुत्र/पुत्री को भूमि क्रय में लाभ मिलेगा इसके लिये जानकारों के मुताबिक सरकार को इस फैसले में संशोधन करना पड़ेगा।



पानी कनेक्शन के लिये नहीं है नगर निगम के पास कोई नियम

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला में प्लानिंग एरिया के अन्दर घरेलू उपयोग, व्यवसायिक उपयोग और निर्माणों के लिये पानी का कनेक्शन प्राप्त करने के लिये कोई भी स्वीकृत नियम नहीं है। यह जानकारी नगर निगम ने डा. बंटा को आर्टीआई के तहत उपलब्ध करवाई है। नगर निगम शिमला में पिछले दिनों हुआ पेयजल संकट अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा में रहा है। क्योंकि इस संकट पर एक पखवाड़े तक प्रदेश उच्च न्यायालय ने लगातार मामले की सुनवाई की और कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने स्वयं सड़क पर निकलकर इस समस्या की गंभीरता की व्यक्तिगत स्तर पर जानकारी हासिल की। यही नहीं शिमला में लोगों को किन दरों पर पानी की सप्लाई की जा रही है इसको लेकर भी विवाद चल रहा है। विधानसभा तक को निगम की ओर से यह जानकारी दी गयी है कि पानी का बिल मीटर रीडिंग पर दिया जा रहा है जबकि यह बिल फ्लैट रेट पर दिये जा रहे हैं।

आम आदमी की यह धारणा है कि निगम घरेलू, व्यवसायिक और भवन निर्माण कार्यों के लिये अलग-अलग दरों पर बिल देता है एक से अधिक कनेक्शन नहीं दिये जाते हैं। लेकिन यह सारी धारणा आर्टीआई में आयी जानकारी के बाद एकदम धराशायी हो जाती है। होटल लेण्डमार्क के संदर्भ में मांगी गयी जानकारी में यह सूचना आयी है कि पानी का कनेक्शन देने के लिये प्लानिंग एरिया में नगर निगम शिमला के पास कोई स्वीकृत नियम नहीं है। सबकुछ संबंधित अधिकारी की ईच्छा पर ही निर्भर करता है। होटल लेण्डमार्क को पांच कनेक्शन दिये गये हैं जिसमें कुछ कनेक्शन होटल

लेण्डमार्क के नाम पर तथा कुछ टी.आर. शर्मा और विनोद अग्रवाल के नाम पर है। एक ही होटल में अलग-अलग नामों पर पाये गये कनेक्शनों से यह प्रमाणित हो जाता है कि वास्तव में ही कोई नियम नहीं है।

MUNICIPAL CORPORATION SHIMLA.
No.MCS/RTI/1220-c.gov/2018-2081 Dated: 11-7-2018.
From The Public Information-Officer-Cum Municipal Engineer, WS&SD.M.C. Shimla.
To Dr. Pawan Kumar Banta, House No. 500 A, Sector-IV, New Shimla.
Subject: Information under the Right to Information Act 2005.
Kindly refer to your letter dated 11.06.2018(diarized vide no.1220.e.gov/2018) on the subject cited above.
In this regard, it is intimated that there is no approved bye-laws for domestic/commercial/construction water connection in Planning area.
If you are not satisfied, you may appeal before the First Appellate Authority-cum-Commissioner, M.C.Shimla within 30 days positively.
Public Information Officer-cum Municipal Engineer, Water Supply Divn. M.C. Shimla.